कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर

विज्ञप्ति

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के एकल समूहों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2019–20

कैम्प भोपाल, दिनांक 16.03.2019

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2019–20 के लिये, अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2019 से दिनांक 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिये सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में वर्ष 2018–19 में संचालित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के एकल समूहों का निष्पादन वर्ष 2018–19 के वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर वर्ष 2019–20 हेतु आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाकर संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा घोषित निष्पादन स्थलों पर किया जाएगा। शासन को यह अधिकार होगा कि वर्ष 2019–20 के लिये स्वीकृत आबकारी व्यवस्था में वर्ष 2019–20 अवधि के दौरान यथा आवश्यक परिवर्तन कर सकेगा। मदिरा दुकानों के एकल समूहों के निष्पादन की प्रक्रिया, निष्पादन का कार्यक्रम, निष्पादन के सम्बन्ध में उपयोगी जानकारी, व्यवस्था तथा लागू होने वाले निर्बन्धन एवं शर्तें आदि जानकारी संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकेगी। मदिरा दुकानों के निष्पादन के संबंध में विज्ञप्ति, वेब साईट www.govtpressmp.nic.in एवं आबकारी विभाग की वेबसाईट www.mpexcise.org से भी डाउनलोड की जा सकती है।

मदिरा दुकानों के निष्पादन की कार्यवाही में जो व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/कन्सॉर्टियम (Consortium) भाग लेना चाहें, वे इस संबंध में, शर्तों एवं प्रतिबंधों के अन्तर्गत ई–टेण्डर द्वारा NIC के पोर्टल (https://mptenders.gov.in) पर ऑफर दे सकते हैं।

(रजनीश श्रीवास्तव)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश